

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर।

आम सूचना

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुंगेर राजघाट फेरी सेवा की बन्दोबस्ती खुली डाक द्वारा वर्ष 01/01/2013 से 31/12/2013 तक के लिए निम्नांकित सुरक्षित जमा राशि पर निर्धारित तिथि (क) को अपराहन 12.30 बजे नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में होगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने पर अंकित अनुवर्ती तिथि 'ख' एवं 'ग' को उपर्युक्त निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी। प्रश्नगत फेरी की सीमा विस्तार गंगा नदी के दक्षिण किनारे पूरब में लाल दरवाजा से मिर्जापुर बरदह भाया बाकरपुर तथा पश्चिम में लालदरवाजा से शिवकुण्ड भाया सोझी घाट लल्लूपोखर तथा गंगा नदी के उत्तर किनारे मल्हीपुर से मानसी भाया खगड़िया एवं पश्चिम में मल्हीपुर समस्तीपुर तक है।

| क्रमांक | सैरात का नाम | सुरक्षित जमा राशि | डाक की तिथि | जमानत की राशि |
|---------|-------------------------|--|--|---------------|
| 01 | मुंगेर राजघाट फेरी सेवा | वार्षिक सुरक्षित जमा राशि 14,06,810.00 (प्रति वर्ष की दर से) | (क) 19/12/2012 (ख) 20/12/2012 (ग) 21/12/2012 (अपराहन 12.30 बजे) | 3,51,703.00 |

नोट:- बन्दोबस्ती हेतु विशेष शर्तों की जानकारी नगर निगम, मुंगेर के सूचना पट पर प्रकाशित किया गया का अवलोकन किया जा सकता है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर

- भ्रष्टचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।
- घूस लेना एवं देना दोनों ही दण्डनीय अपराध है।
- सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है, धर्म ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।
- जनता को तंग क्या करना जेल जाना और पानी भरना।

नीलामी संबंधी शर्तें:-

1. उपर्युक्त घाट बन्दोबस्ती के लिए आयोजित डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर को स्वीकार्य अपनी वित्तीय स्थिति तथा बकाया रहित होने का प्रमाण-पत्र नगर निगम, मुंगेर में देना होगा।
2. बन्दोबस्ती के समय उन्हें दो जहाज प्रस्तुत करने होंगे, जिन्हें, स्टीम भेसेल्स, बिहार के मुख्य सर्वेक्षण पदाधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी के रूप में अनुमान्य किया गया है, उसकी पुष्टि में अद्यतन सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र एवं बिहार के निबंधन पत्र डाक के समय उपस्थापित करना होगा। उन दो जहाज में कम-से-कम 300 (तीन सौ) तथा दूसरा जहाज में कम-से-कम 1000 (एक हजार) यात्रियों को एक बार में ढोने की क्षमता होनी चाहिए। एक जहाज में यथा नियम काम लिया जायेगा तथा दूसरे जहाज आपातकाल तथा खराब एवं क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उपयोग के लिए सुरक्षित रहेगा।
3. डाक के दो दिन पूर्व से दो जहाज अद्यतन सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र के साथ घाट पर उपलब्ध रखना होगा। जो जहाज डाक के समय उपलब्ध रहेगी, उसी के विरुद्ध डाक बोली जा सकेगी और वही जहाज बन्दोबस्ती के पश्चात चलाना होगा। चलाये जा रहे जहाज को आवश्यकतानुसार बाहर भेजे जाने एवं उस जहाज के बदले दूसरे जहाज को चलाने के लिए अधोहस्ताक्षरी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. डाक वक्ता को शपथ पत्र दाखिल करना होगा कि जो जहाज परिचालन हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है वह किसी अन्य घाट (फेरी) के लिए तो पूर्व से निर्धारित नहीं है।
5. 01 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक के लिए जहाज घाट की बन्दोबस्ती की जायेगी। नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत डाक की राशि घाट की सुरक्षित जमा राशि होगी। पट्टेदार को 01 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक की अवधि तक प्रतिदिन घाट में जहाज चलाना होगा। नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वे यथेष्ट कारण का उल्लेख करते हुए उच्चतम डाक वक्ता के साथ की गई बन्दोबस्ती को रद्द कर दें, अथवा फेरी को नीलाम से बिल्कुल ही मुक्त कर दें।
6. डाक प्रारम्भ होने के पूर्व एक जहाज प्रस्तुति तथा उनके कागजातों की समीक्षा के बाद डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि मो०- 14,06,810.00 (चौदह लाख छः हजार आठ सौ दस रुपये का चौथाई भाग मो०- 3,51,703.00 (तीन लाख एकावन हजार सात सौ तीन) रुपये जमानत के रूप में नगर निगम, मुंगेर कोष में जमा करना होगा। यह राशि केवल उच्चतम वक्ता को छोड़कर अन्य वक्ताओं को डाक समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी। उच्चतम डाक वक्ता द्वारा जमा की गई राशि जमानत की राशि का समायोजन अन्तिम किश्त की राशि के साथ की जायेगी। वर्ष के निर्धारित माहों (कुल बारह माह) के डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त में जमा करना होगा। पट्टेदार को नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि को बंगाल फेरी एक्ट अधिनियम 1855 के नियम 9 के अनुसार एकरारनामा

करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा नहीं करने पर उनके द्वारा जमा की गई कुल राशि जब्त कर ली जायेगी या एकरारनामा स्टाम्प फीस की राशि की वसूली नीलाम पत्र वाद द्वारा की जायेगी।

7. पट्टेदार को कम-से-कम छः नौकायें रखनी होंगी। नौका की लम्बाई 30 फीट तथा चौड़ाई में 12 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। नावों पर अधिकतम बोझ ढोने की क्षमता यात्रियों को ले जाने की संख्या तथा मल्लाहों की संख्या अंकित होनी चाहिए।
8. पट्टे की अवधि में पट्टेदार को दो जहाज रखना होगा। जिसमें एक सर्वोत्तम श्रेणी का जहाज होगा। जहाज को कम-से-कम दो बार नगर आयुक्त के द्वारा निर्धारित समय पर लाल दरवाजा से राजघाट पार तक ले जाना और आना होगा। इसमें समय-समय पर नगर आयुक्त द्वारा नदी की धारा को ध्यान में रखते हुए हेर-फेर भी किया जा सकता है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए नगर आयुक्त हवा के रुख तथा नदी की धारा को ध्यान में रखते हुए नाव से भी यात्रियों को राजघाट सीमा के अन्दर किसी घाट से पार करने का आदेश दे सकते हैं।
9. पट्टेदार को घाट पर चढ़ने उतरने के स्थानों को समुचित रूप से घाट निर्माण करना होगा। घाटों का ढलान और आने-जाने वाले रास्ते का प्रबंध एवं मरम्मत समुचित ढंग से पट्टेदार को करनी होगी। यात्रियों के लिए दोनों ओर से घाटों पर विश्रामालय की व्यवस्था करनी होगी।
10. पट्टेदार को 16 अक्टूबर से 15 जून तक इस पार और उस पार कम-से-कम तीन बार जहाज ले जाना और ले आना होगा तथा 16 जून से 15 अक्टूबर तक कम-से-कम दो बार इस पार से उस पार ले जाना और ले आना होगा।
11. स्वीकृत निर्धारित भाड़ा से अधिक यात्रियों, सामानों और पशुओं को पार करने का भाड़ा अधिक नहीं लेना होगा। जो निम्न है।

| | भाड़ा दर |
|-------------------------|----------|
| (क) प्रति वयस्क व्यक्ति | - 15/- |
| (ख) प्रति बच्चा | - 07/- |
| (ग) प्रति मोटर साईकिल | - 25/- |
| (घ) प्रति साईकिल | - 07/- |

12. जिनकी डाक स्वीकृत की जायेगी, उनके द्वारा जमा किया गया सिक्कुरिटी राशि पट्टा लेने के पूर्व जमा करना होगा। उनकी जमा की गयी रकम ठीक से शर्तों के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में पट्टा की समाप्ति तक जमा रहेगी।
13. नगर आयुक्त के संतोधानुसार जहाज नहीं चलाने के लिए अथवा जहाज की सेवा को रोक देने के लिए नगर आयुक्त को जुर्माना करने का अधिकार होगा, जो प्रतिदिन 500/- (पाँच सौ) रु० तक हो सकती है।
14. उपर्युक्त शर्तों के अवहेलना करने पर पट्टेदार का पट्टा रद्द कर दिया जा सकता है तथा नगर आयुक्त के निर्णयानुसार प्रतिभूति की कुल राशि जब्त कर लिया जायेगा। किसी शर्त की अवहेलना के लिए नगर आयुक्त 24 (चौबीस) घंटे की सूचना देकर पट्टे को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

ज्ञापांक: १२११/११० दिनांक: २५.११.१२
प्रतिलिपि:- आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।

ज्ञापांक: १२११/११० दिनांक: २५.११.१२
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मुंगेर/आरक्षी अधीक्षक, मुंगेर/अपर समाहर्ता पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।

ज्ञापांक: १२११/११० दिनांक: २५.११.१२
प्रतिलिपि:- माननीय महापौर/उप महापौर/सशक्त स्थायी समिति के सदस्य/प्रधान सहायक/लेखापाल/रोकड़पाल, नगर निगम, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।